5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
10 रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

निगरानी क्र. .../2017

सन्तलाल गुप्ता तनय बाबूलाल गुप्ता, निवासी मझगवां, तहसील मझगवां, जिला–सतना म.प्र...निगराकार

बनाम

सजना चमार तनय मुन्ना चमार, निवासी मझगवां, तहसील मझगवां, जिला–सतना म.प्र...गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सतना के रा.प्र.क्र. 239अ74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2016

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

संक्षिप्त तथ्य

गैरनिगराकार द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मौजा मझगवां की आ.नं. –710/1घ रकवा 0.849 हे. जो मुझे आवंटित हुई थी, उसे निगराकार द्वारा गहन के आधार पर विक्रय पत्र का निष्पादन करा लिया है, जिसमें मुझे प्रतिफल की कोई राशि नहीं दी गई, जिससे उक्त आराजी के संबंध में कराया गया विक्रय पत्र निरस्त किया जाकर आराजी मुझे पुनः वापस दिलाई जाय।

जिसके संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा के अन्तर्गत लिया जाकर अनुविभागीय अधिकारी मझगवां से जांच प्रतिवेदन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्रकरण को सुनवाई हेतु दिए जाने के उपरान्त निगराकार को कारण बताओ सूचना जारी की गई, जिसमें निगराकार

क्रमशः..........2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[redacted] क्रमांक 57 / 11 / 2017 निगरानी — जिला सतना

[redacted] तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–1–2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 239 अ74 / 2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 31–10–2016 से परिवेदित होकर, म0प्र0भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, मौजा मक्षगंवा की आराजी नम्बर 710 / 1द्य रकवा 0.848 हैक्टर का अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि,उक्त विवादित भूमि मुझ को आंवटित हुई थी उस का आवेदक द्वारा गहन के आधार पर विक्रय पत्र का निष्पादन करा लिया गया है उक्त आवेदन पर से कलेक्टर सतना द्वारा स्वप्रेरणा से रा.प्र.क. 239 अ74 / 2015–16 दर्ज किया जाकर,अनुविभागीय अधिकारी मझगंवा से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर, आदेश दिनांक 31–10–2016 पारित कर विक्रय पत्र / अन्तरण निरस्त किया जाकर अनावेदक के पक्ष में आंवटित भूमि रकवा 0.849 हैक्टर (सडक विकास निगम के पक्ष में अर्जित रकवे 0.230 हैक्टर को छोडकर) खसरे में सुधार कराया जाने तथा रकवा 0.196 हैक्टर पूर्ववत म0प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह	

निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर सतना के प्र0क0 239 अ74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2016 के संबंध में यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संबंध में अधिकारिता न होते हुए भी प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जब कि अनावेदक स्वतः उस भूमि का विक्रेता है जिसे आपत्ति या शिकायत करने का कोई अधिकार ही नहीं था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों से परे जाकर धारा 165(7)(ख)का.मा. के प्रावधान आकर्षित न होने के बाबजूद भी उक्त उपबंध का आधार बना कर आदेश पारित किया गया है जबकि अनावेदक आदिमजन जाति का व्यक्ति नहीं है बल्कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जिससे प्रकरण में धारा 165(7)(ख)का.मा. के प्रावधान आकर्षित ही नहीं होते, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गई है।

प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि, अनावेदक ही उक्त भूमि का विक्रेता है और अपने विक्रय पत्र के संबंध में आपत्ति की गई थी जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन दिया गया था जिसमें विक्रय पत्र के संबंध में राजस्व न्यायालय को अधिकार न होने से प्रतिवेदित किया गया था विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके संबंध में संहिता की धारा 165(7)(ख)का.मा.के प्रावधान आकर्षित नहीं होते तथा बंटन से

अधिक रकवे के संबंध में उत्पत्ति अंकित की गई है वह खसरे में त्रुटि के कारण होना परिलक्षित होती है। किन्तु अनावेदक क–1 को बंटन में प्राप्त रकवे के संबंध में विकय पत्र प्रभावी होना प्रमाणित पाया जाता है जिससे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिचारण विषयवस्तु से परे जाकर धारा 165(7)(ख)का. मा. के संबंध में जो आधार स्थापित कर आदेश पारित किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधिक सिद्धान्तों के आधार पर ही विधि संगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2016 संहिता में बने हुए प्रावधानों के बिपरीत होने से निरस्त किया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर